"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 318] रायपुर, शनिवार, दिनांक 24 अक्टूबर 2009—कार्तिक 2, शक 1931

गृह विभाग
(सामान्य शाखा)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर.

रायपुर, दिनांक 24 अक्टूबर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 16-52/गृह-दो/सामा./2005.—छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग ने अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में विवेचक को उसकी उत्कृष्ट विवेचना के लिये सम्मानित करने की दृष्टि से एक राज्य स्तरीय सम्मान की स्थापना की है. विवेचना प्रक्रिया में पुलिस अधिकारियों के योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने के उद्देश्य से राज्य शासन ने "पंडित लखन लाल मिश्र सम्मान" देने का निर्णय लिया है. यह पुरस्कार/सम्मान प्रत्येक वर्ष राज्योत्सव के अवसर पर प्रदान किया जावेगा. यह निश्चय किया गया कि यह पुरस्कार उस पुलिस अधिकारी को दिया जावेगा, जिसके द्वारा विवेचित प्रकरण में "अभियुक्त/अभियुक्तों को आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड से दंण्डित किया गया हो". सजा का निर्णय पिछले वर्ष से सम्मान वर्ष के 31 अगस्त तक की अवधि के दौरान घोषित हुआ हो.

इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "पंडित लखन लाल मिश्र सम्मान नियम-2009" है.

(2) इन नियमों का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **परिभाषा.**—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(अ) "पुलिस अधिकारी" से तात्पर्य वे अधिकारी हैं, जो छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम-2007 के अनुसार पुलिस अधिकारी माने गये हैं.

(ब) "निर्णायक मंडल" से अभिप्राय इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठित किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है.

3. **सम्मान का स्वरूप.**—अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट विवेचना के लिये प्रत्येक वर्ष राज्योत्सव के अवसर पर एक पुलिस अधिकारी को "पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान" राशि रुपये 25000/- (पच्चीस हजार रु.) नगद एवं सम्मान के रूप में सम्मान पट्टिका दी जावेगी.

4. **निर्णायक मंडल का गठन.**—निर्णायक मंडल का गठन पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा किया जावेगा, जिसमें अध्यक्ष अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग अथवा उनकी अनुपस्थिति में उनके स्तर का अन्य कोई अधिकारी होगा तथा मंडल के अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगे :—

(1) पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन

(2) उप पुलिस महानिरीक्षक स्तर के एक अधिकारी

(3) सहायक पुलिस महानिरीक्षक स्तर के एक अधिकारी

5. **निर्णायक मंडल की शक्तियाँ.**—

(1) निर्णायक मंडल द्वारा किया गया चयन पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जावेगा. वे अपने विवेकानुसार निर्णय लेंगे एवं शासन को अनुशंसा करेंगे.

(2) सम्मान के चयन के संबंध में कोई आपत्ति या अपील स्वीकार नहीं की जाएगी.

(3) संबंधित सम्मान वर्ष के लिये प्राप्त नामांकन के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्तियों के नाम पर भी विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप पाएं एवं उनके अभिलेखों को प्राप्त कर परीक्षण कर सकता है.

(4) प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिये केवल एक पुलिस अधिकारी का चयन होगा.

(5) निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की कार्यवाही का विवरण स्थायी अभिलेख के रूप में रखा जाएगा.

6. **चयन की प्रक्रिया.**—सम्मान के लिये उपयुक्त व्यक्ति के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :—

(1) जिस वर्ष के लिये सम्मान प्रदान किया जाना है, उस आलोच्य वर्ष के लिए समस्त पुलिस अधीक्षक अपने जिले से पात्र उम्मीदवारों का नामांकन निर्धारित प्रारूप में पुलिस उप महानिरीक्षक (अपराध अनुसंधान विभाग), पुलिस मुख्यालय, रायपुर को 28 अक्टूबर तक भेजेंगे.

(2) नामांकन पुलिस उप महानिरीक्षक "अपराध अनुसंधान विभाग" द्वारा चयन समिति के समक्ष निर्धारित प्रारूप में प्रविष्टि कर संक्षेपिका सहित प्रस्तुत की जावेगी.

(3) (अ) चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदंडों के अतिरिक्त कोई अन्य मानदण्ड लागू नहीं होगा.

(ब) एक बार इस सम्मान से पुरस्कृत अधिकारी आगामी वर्षों के लिये पुरस्कार हेतु अयोग्य नहीं माना जावेगा.

(4) नामांकन में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चातवर्ती पत्र-व्यवहार पर सम्मान के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(5) नामांकन में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों की प्रमाणिकता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित पुलिस अधीक्षक का होगा. इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्षकार नहीं माना जाएगा.

(6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त नामांकन की जानकारी को निम्नलिखित प्रपत्र में प्रविष्ट किया जाएगा—

क्र.,	जिले का नाम	नाम थाना, अपराध क्रमांक एवं धारा	अपराध घटना का संक्षेप में विवरण	विवेचना अधिकारी का नाम एवं पदनाम	न्यायालयीन निर्णय का विवरण एवं निर्णय दिनांक	उत्कृष्ट विवेचना का आधार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

7. **चयन का मानदण्ड.**—उत्कृष्ट विवेचना पुलिस अधिकारी पुरस्कार के लिये निम्नानुसार अर्हताओं का भी होना आवश्यक होगा—

(1) भारतीय दण्ड संहिता के पंजीबद्ध प्रकरण में अपराधियों की गिरफ्तारी यथा-संभव शत-प्रतिशत हो.

(2) भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत संपत्ति संबंधी अपराधों जैसे अज्ञात चोरी, नकबजनी, लूट, डकैती के प्रकरणों में मशरूका की बरामदगी 50 प्रतिशत से अधिक हो.

(3) विचारणीय अवधि में उसके विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत/आपराधिक प्रकरण अथवा विभागीय जांच की कार्यवाही लंबित न हो.

(4) पूरे सेवाकाल में वह कभी भी किसी भी प्रकार के अपराधिक प्रकरण में संलग्न न रहा हो.

(5) विचारणीय वर्ष में उसे प्राप्त ईनाम के विरुद्ध सजा की संख्या कम हो.

(6) उसका सेवा अभिलेख "अच्छा श्रेणी या इससे अधिक का हो."

8. **सम्मान की घोषणा.**— निर्णायक मंडल अपना निर्णय पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत करेगा तथा पुलिस महानिदेशक उसे गोपनीय रूप से राज्य शासन को प्रस्तुत करेंगे तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित पुलिस अधिकारी के प्रकरण के अनुमोदन पश्चात् सम्मान/पुरस्कार की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

9. **पुरस्कार समारोह.**— पुरस्कारों का अलंकरण समारोह संस्कृति संचालनालय द्वारा राज्योत्सव के अवसर पर आयोजित होगा, जिसमें भाग लेने के लिए चयनित पुलिस अधिकारी को आमंत्रित किया जावेगा.

10. **व्यय की संपूर्ति.**— पुरस्कार/सम्मान राशि पर होने वाले व्यय की पूर्ति विभागीय मद द्वारा की जायेगी.

11. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन.**— राज्य शासन, गृह पुलिस विभाग को सम्मान नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों के संबंध में प्रमुख सचिव, गृह विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी.

12. **अन्य दायित्वों का निर्वहन.**— प्राप्त प्रविष्टियों से संबंधित व्यक्तियों का रिकार्ड एक अलग जिल्द में पुलिस विभाग द्वारा संधारित किया जावेगा. चयनित व्यक्ति के जीवन परिचय के साथ-साथ उसके सेवाकाल के उत्कृष्ट कार्य के संबंध में समारोह के अवसर पर एक सचित्र स्मारिका प्रकाशित की जावेगी, जिसमें सम्मान के उद्देश्यों, स्वरूप, सम्मान प्राप्ति के विवरण आदि का समावेश होगा.

Raipur, the 24th October 2009

NOTIFICATION

F. No. 16-52/Home-II/General/2005.—Government of Chhattisgarh Home (Police) Department institutes a state level award to give recognition to an Investigator for his excellent investigation in the field of Crime Investigation, with a view to encourage and to give recognition to a Police officer's contribution in the process of investigation, the Government of Chhattisgarh institutes an award "Pandit Lakhanlal Mishra Samman". This award will be conferred every year on Rajyotsava. This award will be given to police officer who has investigated a case which has resulted

into conviction of the accused person/persons with the sentence of life imprisonment or death sentence. Order of conviction and sentence should have been passed in the period of one year prior to 31st of August of year in which the award is to be conferred.

The State Government hereby makes the following rules to regulate the procedural aspects of the award, namely—

1. **Short Title, extent and commencement.—**
   (1) These rules shall be called "Pandit Lakhanlal Mishra Samman Niyam-2009".

   (2) It extends to the whole of the State of Chhattisgarh.

   (3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. **Definitions.—** In these rules unless the context otherwise requires—
   (a) "Police Officer" means an officer as defined in the police Act, 2007.

   (b) "Jury" means Jury constituted under Rule-4 of these Rules.

3. **Nature of Award.—** One Police Officer shall be conferred with "Pandit Lakhanlal Mishra Samman" a reward of Rs. 25000/- (Rs. Twenty Five Thousand) in cash and a certificate of honour on the occasion of Rajyotsava every year for excellent Investigation in the field of crime investigation.

4. **Constitution of Jury.—** The Jury shall be constituted by Director General of Police, Chhattisgarh, in which Additional Director General of Police, Crime Investigation Department or in his absence, any other officer of equivalent rank may be nominated as chairman, and other members of Jury shall be as follows—
   (1) Inspector General of Police (Administration)

   (2) One officer of the rank of Deputy Inspector General of Police.

   (3) One officer of the rank of Assistant Inspector General of Police.

5. **Power of Jury.—**
   (1) Selection made by Jury shall be forwarded to Director General of Police Chhattisgarh. He shall take decision at its own discretion and recommend to the government.

   (2) Any objection or appeal against the selection for award shall not be entertained.

   (3) Apart from the nomination received for the concerned year the jury may consider at its discretion the name of such person/persons who are eligible for the purpose of the award and after receiving their document it may examine and include their records.

   (4) Only one police officer shall be selected for award in one year.

   (5) The proceedings of the meeting of jury shall be kept as a permanent record.

6. **Procedure of selection.—**The Procedure of selection of suitable person for award shall be as under :—
   (1) For the nominations of award of the concerned year, the Suptd. of Police of District shall send the nominations of suitable officers to Deputy Inspector General (Crime Investigation Department), Police Headquarters, Raipur latest by 28th October of every year in prescribed proforma.

   (2) All the nominations shall be put up before Jury with precis in prescribed Proforma by Deputy Inspector General (Crime Investigation Department).

   (3) (a) No criteria other than those laid down in these Rules shall be considered for selection.

       (b) Police officer once awarded shall not be ineligible for this award in coming years.

   (4) No Subsequent Correspondence shall be entertained regarding the award except the inherent fact/information in the nominations.

(5) Superintendent of police shall be wholly responsible for the facts/findings/contents contained in the nominations. The State Government shall not be a party to any dispute in this regard.

(6) Information of all nominations received upto prescribed date shall be entered in the following Proforma.

No.	Name of District	Name of Police station, Crime number and section	Summary of incident	Name of Investigating Officer and his rank	Details of Court order with date	Ground of excellent investigation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

7. **Criteria for selection.**— For this award police officer must also fulfil the following requirements ;—

(1) In case of offence registered under Indian Panel Code the arrest of all the accused persons should have been made as far as possible.

(2) In cases of offence relating to property under Indian Penal Code, for example, theft, house breaking, loot, dacoity, the recovery of stolen property must be more than 50%.

(3) During the period under consideration there should be no complaint of corruption/departmental enquiry/criminal case pending against the officer nominated.

(4) He should not have been involved as a suspect in any criminal case in his service period.

(5) During the period under consideration the number of rewards earned by him , must be more than the number of punishments.

(6) His annual Service remarks must be of grade "good or above".

8. **Declaration of Award.**—Jury shall submit its decision to the Director General of Police and Director General of Police shall submit his recommendation in confidential letter to State Government and after approval of government, the award shall be announced formally by the government.

9. **Award Ceremony.**—Award ceremony shall be organized by Directorate of Culture at the time of Rajyotsava. Selected police officer shall be invited to participate therein.

10. **Expenses of award.**—The expenses of reward and other expenses shall be met out by Departmental budget.

11. **Amendment and modification in the rules.**—The State Government (Home) Police Department has right to amend and/or modify "Samman" Rules as and when required. The interpretation of the rules by the Principal Secretary, Home Department shall be final.

12. **Fulfilment of other liabilities.**—The Police Department shall maintain the record in a separate register of Police Officers whose nomination have been received. A pictorious brochure of life sketch of officer selected for award shall be published at the time of Rajyotsava. In the brochure the aims and objective and other details of the award may also be included.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.